

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 20/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/86

अनवान

1. केसर पुत्री रोड़ा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाबा. नारायणी पुत्री रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
3. नाबा. पारसी पुत्री रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
4. नाबा. शंकरलाल पुत्र रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
5. सायरीदेवी पत्नि रोड़ा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बैणा पुत्र भैरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कानसिंह पुत्र हीरासिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरू पुत्र जग्गु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जयराम पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. छोगा पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भागु पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगद्दी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 11-11-2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की निम्न कृषि आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है० में
1	कारोल	19	154	0.47
2	कारोल	19	155	0.08
3	कारोल	19	156	0.19
4	कारोल	19	157	0.11
5	कारोल	19	159	0.04
6	कारोल	19	280	0.11



स्वायत्त वस्त्रकर्म
राजस्थान सरकार

7	कारोल	19	281	0.01
8	कारोल	19	282	0.17
9	कारोल	19	283	0.06
10	कारोल	19	286	0.12
11	कारोल	19	379	0.01
12	कारोल	19	381	0.12
		कुल किता, कुल रकबा	12	1.49
1	कारोल	88	537 / 196	0.84

प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 10.01.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

2. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 11.11.2025 को अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 19 में अंकित कुल किता 12 कुल रकबा 1.49 है0 भूमि एवं खाता संख्या 88 में अंकित कुल किता 1 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि रिथत है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन रवीकार किया जाए।
4. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी



सहायक क्लर्क
रायपुर

अधिकारों की आराजियात खाता संख्या 19 में अंकित कुल किता 12 कुल रकबा 1.49 है0 भूमि एवं खाता संख्या 88 में अंकित कुल किता 1 कुल रकबा 0.84 है भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का वागड़ तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की निम्न कृषि आराजियात स्थित है :-

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	कारोल	19	154	0.47
2	कारोल	19	155	0.08
3	कारोल	19	156	0.19
4	कारोल	19	157	0.11
5	कारोल	19	159	0.04
6	कारोल	19	280	0.11
7	कारोल	19	281	0.01
8	कारोल	19	282	0.17
9	कारोल	19	283	0.06
10	कारोल	19	286	0.12
11	कारोल	19	379	0.01
12	कारोल	19	381	0.12
		कुल किता, कुल रकबा	12	1.49
1	कारोल	88	537 / 196	0.84

उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।



आदेश आज दिनांक 11-11-25 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर (ए.डी.ओ.) रायपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर (ए.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 20/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/86

अनवान

1. केसर पुत्री रोड़ा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाबा. नारायणी पुत्री रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
3. नाबा. पारसी पुत्री रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
4. नाबा. शंकरलाल पुत्र रोड़ा सरंक्षक माता सायरीदेवी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर
5. सायरीदेवी पत्नि रोड़ा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बैणा पुत्र भैरा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरुसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भंवरसिंह पुत्र भैरुसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कानसिंह पुत्र हीरासिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरू पुत्र जग्गु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जयराम पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. छोगा पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भागु पुत्र हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 11-11-2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की निम्न कृषि आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है० में
1	कारोल	19	154	0.47
2	कारोल	19	155	0.08
3	कारोल	19	156	0.19
4	कारोल	19	157	0.11
5	कारोल	19	159	0.04
6	कारोल	19	280	0.11
7	कारोल	19	281	0.01



सहायक क्लर्क
(एल.जी.ओ.) रायपुर

8	कारोल	19		
9	कारोल	19	282	0.17
10	कारोल	19	283	0.06
11	कारोल	19	286	0.12
12	कारोल	19	379	0.01
			381	0.12
1	कारोल	कुल किता, कुल रकबा	12	1.49
		88	537 / 196	0.84

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 11-11-25 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जंशी, ओलवा डी.
11-11-25